

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज०)

पीठीसीन अधिकारी :-

प्रमोद कुमार (RAS)

वाद पत्र संख्या :-

06/2020

1. पियूष कुमार जैन आयु 28 साल आ० लालचन्द जाति महाजन निवासी जैथल तहसील के०पाटन जिला बून्दी राज०
2. दीपक कुमार जैन आयु 25 साल आ० लालचन्द जाति महाजन निवासी जैथल तहसील के०पाटन जिला बून्दी राज०

— वादीगण

बनाम

1. लालचन्द आयु 55 साल आ० अमोलकचन्द जाति महाजन निवासी जैथल तहसील के०पाटन जिला बून्दी राज०
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ज तहसीलदार के०पाटन

— प्रतिवादीगण

वाद:- अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज० टि० एक्ट

उपस्थिति :-

- 1- वादीगण की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट
- 2- प्रतिवादी की ओर से श्री लक्ष्मीचन्द गुर्जर एडवोकेट

—::निर्णय::—

दिनांक: 06.03.2020


1. वादीगण के द्वारा दिनांक 12.02.2020 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 133 पुराना 11 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2758 रकबा 2.51 है०, खसरा संख्या 3089/2451 रकबा 0.66 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.17 है० वाके ग्राम व माल ओहडी (नवीन) पटवार हल्का जैथल तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० में विस्थित है। पक्षकारान का पीढी वृक्ष अनुसार मूल पुरुष अमोलचन्द है। अमोलचन्द का पुत्र लालचन्द है और लालचन्द के पुत्र वादी सं. 1 पियूष कुमार व वादी सं. 2 दीपक कुमार है। वादीगण को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पुरखो से पीढी दर पीढी चली आ रही है जिसमें वादीगण का 1/3-1/3 हिस्से का सहखातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बैचान करने पर

- आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को विधिवत रूप से 1/3-1/3 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावे।
3. वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की और से दिनांक 03.03.2020 को राजीनामा पेश किया गया।
 4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.03.2020 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या नया 133 पुराना 11 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2758 रकबा 2.51 है0, खसरा संख्या 3089/2451 रकबा 0.66 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.17 है0 वाके ग्राम व माल ओहडी (नवीन) पटवार हल्का जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3-1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। उक्त कृषि भूमि पर बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

